

डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

संवर्गवार अनुरोध के आधार पर प्राप्त अनुरोध-पत्रों का संक्षिप्त विवरण वर्ष-2025-26

सहायक निदेशक समूह-“ख”

क्र० सं०	नाम कार्मिक	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्राप्त अनुरोध पत्र का संक्षिप्त विवरण
01	02	03	04	05
01.	श्री अभिनव नौटियाल	सहायक निदेशक	चमोली	पारिवारिक परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थी जनपद चमोली में कार्य करने का इच्छुक।

वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक समूह-“ग”

क्र० सं०	नाम कार्मिक	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्राप्त अनुरोध पत्र का संक्षिप्त विवरण
01	02	03	04	05
01.	श्री दशरथ सिंह राणा	वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक	ऊधमसिंह नगर	प्रार्थी स्लिप डिस्क (L4, L5) से पीड़ित है तथा प्रार्थी की पत्नी मधुमेह, गठिया एवं थायरायड से पीड़ित है। प्रार्थी द्वारा दुर्गम क्षेत्रों में 16 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गयी है तथा प्रार्थी की आयु दिनांक 31.05.2025 को 57 वर्ष हो गयी है, जिस कारण वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-3(ज) के अनुसार प्रार्थी वरिष्ठ कार्मिक की श्रेणी में आता है। अतः स्थानान्तरण नहीं किये जाने अनुरोध किया गया है।

दुग्ध निरीक्षक समूह—“ग”

क्र० सं०	नाम कार्मिक	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्राप्त अनुरोध पत्र का संक्षिप्त विवरण
01	02	03	04	05
01.	श्री ओंकार नाथ त्रिपाठी	दुग्ध निरीक्षक	हरिद्वार	प्रार्थी की पत्नी का निधन वर्ष 2020 को हो गया है (मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न) करते हुए स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के बिन्दु संख्या-3 के अनुसार एकल अभिवावक (विधवा/विधुर) की श्रेणी में आने के संबंध में अवगत कराते हुए दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण न किये जाने का अनुरोध किया गया।
02.	डॉ० अमृत लाल श्रीवास्तव	दुग्ध निरीक्षक	नैनीताल	प्रार्थी की आयु दिनांक 31 मई, 2025 को 57 वर्ष 02 माह 26 हो जायेगी स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17(ख) 5 के अन्तर्गत प्रार्थी वरिष्ठ कार्मिक की श्रेणी में है। साथ ही, प्रार्थी उत्तराखण्ड शासन से मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन उत्तराखण्ड राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक कल्याण एसोशिएशन का निर्वाचित प्रान्तीय महामन्त्री/महासचिव है। स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17(2-घ) के अन्तर्गत स्थानान्तरण न किये जाने का अनुरोध किया गया है।
03.	श्री जगतवीर आर्य	दुग्ध निरीक्षक	नैनीताल	प्रार्थी द्वारा दुर्गम कार्य स्थल पर 10 वर्ष से अधिक की सेवा कर ली है। प्रार्थी अभी स्थानान्तरण नहीं चाहता है। यदि नियमानुसार स्थानान्तरण आवश्यक है, तो जनपद ऊधमसिंह नगर और जनपद चम्पावत में अपने निजी व्यय पर स्थानान्तरण हेतु इच्छुक है।
04.	श्रीमती सरिता मेहरा	दुग्ध निरीक्षक	ऊधमसिंह नगर	प्रार्थिनी के पति जिला न्यायालय ऊधमसिंह नगर में कार्यरत है। अतः वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा (ख) के अन्तर्गत स्थानान्तरण प्रक्रिया से मुक्त रखने का अनुरोध किया गया।
05.	श्री हरि सिंह	दुग्ध निरीक्षक	हरिद्वार	प्रार्थी का जनपद उत्तरकाशी (दुर्गम क्षेत्र) में 12 वर्ष की सेवा उपरान्त जनपद हरिद्वार में स्थानान्तरण गत वर्ष 2024 में हुआ है। स्थानान्तरण एक्ट के तहत कार्मिक की सुगम में 04 वर्ष की सेवा उपरान्त ही स्थानान्तरण होता है एवं प्रार्थी 06 माह बाद वरिष्ठ कार्मिक की श्रेणी में आ जायेगा। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए स्थानान्तरण न किये जाने का अनुरोध किया गया।

राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक समूह—“ग”

क्र० सं०	नाम कार्मिक	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्राप्त अनुरोध पत्र का संक्षिप्त विवरण
01	02	03	04	05
01.	श्री संदीप गुसांई	राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक	उत्तरकाशी	प्रार्थी की 70 वर्षीय वृद्ध माता जी ब्लड कैंसर रोग से पीड़ित है। कैंसर रोग से ग्रसित होने के कारण उनका उपचार हिमालयन हॉस्पिटल (कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट) जौलीग्रान्ट, देहरादून से चल रहा है। प्रार्थी को माता जी के कीमोथेरेपी उपचार हेतु समय-समय पर देहरादून हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। माता के देख-भाल की अति आवश्यकता है। जिस हेतु स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17(ख) के अन्तर्गत स्थानान्तरण न किये जाने का अनुरोध किया गया है।
02.	श्री उमेश चन्द्र	राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक	बागेश्वर	प्रार्थी का परिवार एवं वृद्ध माताजी उम्र 83 जो साथ में रहते हैं, जो अक्सर बीमार रहती है। परिवार में माताजी की देखभाल हेतु प्रार्थी के अतिरिक्त अन्य कोई सदस्य नहीं है। प्रार्थी का स्थानान्तरण जनपद नैनीताल में निजी व्यय पर करने का अनुरोध किया गया।
03.	श्री प्रेम सिंह	राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक	ऊधमसिंह नगर	प्रार्थी एक पैर से पोलियो ग्रस्त है। प्रार्थी की विकलांग का 40 प्रतिशत है। मुझे पर्वतीय क्षेत्र में चलने-फिरने में परेशानी होती है। अतः स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत धारा-7(घ) के उपखण्ड (तीन) के अनुसार धारा-3 के अधीन स्थानान्तरण प्रक्रिया से मुक्त रखने का अनुरोध किया गया है।
04.	श्री चरण सिंह सैनी	राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक	हरिद्वार	दुर्गम क्षेत्र जनपद पौड़ी गढ़वाल में श्री प्रवेश कुमार, राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के साथ पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु अनुरोध किया गया है।
05.	श्री प्रवेश कुमार	राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक	पौड़ी	प्रार्थी के पिता जी लकवे से ग्रस्त है, जो हरिद्वार के नारसन में निवासरत है। पिता जी की देखभाल हेतु जनपद हरिद्वार में पारस्परिक स्थानान्तरण का अनुरोध किया गया है, जिसके साथ जनपद हरिद्वार में तैनात श्री चरण सिंह सैनी, राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक का अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।
06.	श्री मोहित कुमार	राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक	पौड़ी	प्रार्थी की पत्नी शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक (एल0टी0) के पद पर जनपद हरिद्वार में कार्यरत है। स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-17(ख) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति-पत्नी सामान्य श्रेणी के स्थल पर तैनाती हेतु जनपद पौड़ी से हरिद्वार में स्थानान्तरण का अनुरोध किया गया।
07.	सुश्री मीनाक्षी नेगी	राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक	पौड़ी	प्रार्थिनी के माता-पिता क्रमशः 69 व 74 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक हैं। प्रार्थिनी की माता जी शुगर, थायरॉयड व आंखों की बीमारी आदि से ग्रसित है, जबकि पिता जी अस्थमा व हार्ट के मरीज हैं। प्रार्थिनी के माता-पिता जी की देखभाल हेतु प्रार्थिनी वर्तमान में

				स्थानान्तरण की इच्छुक नहीं है।
08.	श्री दीपक डबराल	राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक	टिहरी	प्रार्थी के पिता जी का सिर का ऑपरेशन हुआ था, जिस कारण उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। साथ ही, उन्हें श्वास संबंधी परेशानियाँ भी रहती है। वृद्धवस्था के कारण वह स्वयं चिकित्सक के पास जाने में असमर्थ है। पिता जी की देखभाल हेतु जनपद सुगम क्षेत्र जनपद टिहरी से दुर्गम क्षेत्र जनपद पौड़ी में स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।
09.	श्री अजीत कुमार	राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक	टिहरी	जनपद चमोली में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध किया गया।

सहयोगी समूह—“घ”

क्र० सं०	नाम कार्मिक	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्राप्त अनुरोध पत्र का संक्षिप्त विवरण
01	02	03	04	05
01.	श्री मनोज सिंह गुसाई	सहयोगी	चमोली	प्रार्थी की माता जी का स्वास्थ्य सामान्यतः खराब रहता है। पिता जी मृत्यु के उपरान्त माता जी की देख-भाल करने के लिए घर पर मेरे अलावा कोई सदस्य नहीं है। इकलौता पुत्र होने के कारण घर की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरे पर ही है। अतः स्थानान्तरण सत्र 2025-26 में स्थानान्तरण न किये जाने का अनुरोध किया गया है।